

# कार्यालय प्रधानाचार्यः जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या-31 / ई०सी०-1 / ए०डी० / 2025

दिनांक-29/01/2025

## सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/तैनाती व अभ्यर्थियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापित संख्या-01/ए०डी०/2025 दिनांक 01-01-2025 को सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेक्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत पर रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (ए०एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०ए०एस०वाइ०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सप्ताहकार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पश्चात माह के शुक्रवार दिनांक 31-01-2025 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह सप्ताहकार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजीडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०टी०/बी०सी०बी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियाँ का एक सेट बायोडेटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट [www.gsvmmmedicalcollege.com](http://www.gsvmmmedicalcollege.com) पर उपलब्ध हैं। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
1	आर्थोपैडिक्स	1	अनारक्षित	(4)	1	अनारक्षित	(32)	1	ए०एम०सी०	(83)
2	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(57)			
3	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(58)			
4	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ए०एम०सी०	(59)	1	अनारक्षित	(104)
5	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(60)			
6	आयुर्वेद/आयुर्वेद	1	अनारक्षित	(54)	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	ओ०बी०सी०	(109)
7	आयुर्वेद/आयुर्वेद	1	अनारक्षित	(55)	1	अनारक्षित	(66)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(110)
8	आयुर्वेद/आयुर्वेद	1	अनारक्षित	(55)	1	ओ०बी०सी०	(67)	1	ए०एम०सी०	(111)
9	आयुर्वेद/आयुर्वेद	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(67)	1	अनारक्षित	(112)
10	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	आयुर्वेद/आयुर्वेद	1	अनारक्षित	(39)	1	ओ०बी०सी०	(39)	0	0	0
13	आयुर्वेद/आयुर्वेद	1	अनारक्षित	(57)	1	ओ०बी०सी०	(39)	0	0	0
14	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(40)	0	0	0
15	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ओ०बी०सी०	(19)
16	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ओ०बी०सी०	(81)
17	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ओ०बी०सी०	(121)
18	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(180)
19	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	अनारक्षित	(172)
20	आयुर्वेद/आयुर्वेद	1	अनारक्षित	(40)	1	ए०एम०सी०	(41)	0	0	0
21	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(75)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(20)
22	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(76)	1	ए०एम०सी०	(47)
23	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(77)	1	अनारक्षित	(52)
24	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(78)	1	ए०एम०सी०	(53)
25	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ए०एम०सी०	(79)	1	अनारक्षित	(54)
26	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(80)	1	ओ०बी०सी०	(55)
27	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(81)	1	ए०एम०सी०	(63)
28	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(104)	1	अनारक्षित	(64)
29	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ए०एम०सी०	(105)	1	ओ०बी०सी०	(123)
30	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ए०एम०सी०	(31)	1	अनारक्षित	(124)
31	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(31)	1	ए०एम०सी०	(125)
32	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(31)	1	अनारक्षित	(126)
33	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(31)	1	ओ०बी०सी०	(127)
34	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ए०एम०सी०	(85)	1	ए०एम०सी०	(21)
35	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(86)	1	अनारक्षित	(22)
36	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(87)	1	अनारक्षित	(24)
37	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(88)	1	ओ०बी०सी०	(65)
38	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ए०एम०सी०	(89)	1	ए०एम०सी०	(66)
39	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(89)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(100)
40	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(89)	1	ओ०बी०सी०	(129)
41	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(89)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(130)
42	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ए०एम०सी०	(89)	1	ए०एम०सी०	(131)
43	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(89)	1	अनारक्षित	(132)
44	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(89)	1	ओ०बी०सी०	(185)
45	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(89)	1	अनारक्षित	(186)
46	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(89)	1	ओ०बी०सी०	(187)
47	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(89)	1	अनारक्षित	(188)
48	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ए०एम०सी०	(89)	1	ए०एम०सी०	(189)
49	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	अनारक्षित	(89)	1	अनारक्षित	(134)
50	आयुर्वेद/आयुर्वेद	1	अनारक्षित	(85)	1	ओ०बी०सी०	(91)	0	0	0
51	आयुर्वेद/आयुर्वेद	1	अनारक्षित	(85)	1	ओ०बी०सी०	(107)	0	0	0
52	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(27)
53	आयुर्वेद/आयुर्वेद	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(110)	0	0	0
54	आयुर्वेद/आयुर्वेद	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0



20	नेफ़ोलाजी, (मेडिसिन)	1	ओपीसीओ	(27)	0	0	0	0	0	0	0
21	नेफ़ोलाजी(पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एससीओ	(93)	1	1	एससीओ	(69)
	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	अनारक्षित	(94)	1	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(30)
					1	ओपीसीओ	(95)	1	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(70)
					1	ईओडब्ल्यूएसओ	(20)	1	1	ओपीसीओ	(130)
					1	कलीकल साइकोलॉजिस्ट		1	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(140)
					1			1	1	एससीओ	(141)
					1			1	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(170)
					1			1	1	ओपीसीओ	(171)
22	पेन मेडिसिन (शैफरलरस्वक)	1	एससीओ	(45)	1	एससीओ	(47)	1	1	ओपीसीओ	(71)
23	पैथालाजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	फार्माकोलाजी	1	एससीओ	(49)	1	एससीओ	(25)	1	1	एससीओ	(93)
25	फिजिकल एम्ब मेडिकल रिहैबिलिटेशन (शैफरलरस्वक)	0	0	0	1	अनारक्षित	(34)	1	1	एससीओ	(93)
26	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	1	एससीओ	(73)
					1			1	1	अनारक्षित	(46)
27	फॉरेंसिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	1	अनारक्षित	(94)
					1			1	1	एससीओ	(145)
28	बायोकेमिस्ट्री	1	ओपीसीओ	(51)	1	अनारक्षित	(96)	1	1	अनारक्षित	(96)
29	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	1	अनारक्षित	(146)
30	यूरोलॉजी (शैफरलरस्वक)	0	0	0	0	0	0	1	1	एससीओ	(147)
31	रेडियोलॉजी	1	ओपीसीओ	(37)	1	0	0	1	1	एससीओ	(97)
	रेडियोडायग्नोसिस				1	ईओडब्ल्यूएसओ	(30)	1	1	ओपीसीओ	(75)
					1	अनारक्षित	(98)	1	1	ओपीसीओ	(37)
					1	एससीओ	(99)	1	1	अनारक्षित	(98)
					1	ईओडब्ल्यूएसओ	(100)	1	1	अनारक्षित	(58)
					1	एससीओ	(101)	1	1	अनारक्षित	(152)
					1	अनारक्षित	(102)	1	1	एससीओ	(153)
					1			1	1	अनारक्षित	(154)
					1			1	1	ओपीसीओ	(155)
					1			1	1	अनारक्षित	(156)
					1			1	1	ओपीसीओ	(157)
					1			1	1	ओपीसीओ	(161)
32	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओपीसीओ	(103)	1	1	फिजिसिस्ट	
					16			82		0	0
					58			0		0	0

- उक्त पदों पर नियमानुसार आश्वासन देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹-1,60,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फर्मसी पद हेतु ₹-75,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
  - शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
  - शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
  - चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्हता तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्हताओं को पूर्ववर्ती अर्हता पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
  - चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उच्च प्रो राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्थापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
  - ओपीसीओ के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
  - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
  - कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
  - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
  - उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
  - संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवारत लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
  - ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्हता/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के अन्तर्गत पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि यह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महाविदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
  - चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमनकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
  - संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह नर्सिंग में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के अन्तर्गत पर अपने विनियमनकरण अथवा न्यायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
  - अर्हताओं से सम्बन्धित समय इस आराय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिवृत्त उच्च पाया जाय है तो उनकी सेवारत समाप्त कर दी जायेगी।
  - उपरोक्तान्त, कर्मिक अनुमान-2, उच्च लखनऊ के कार्यालय प्राप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/18 टी.सी.-11 दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आश्वासन का लाभ विस्तृत विवरण नोट पर देखा जा सकता है।
  - सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एमएमएससी ग्राहक लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
  - सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
  - जो अर्हताएं एमओडीओ/एमओएसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं- 31 /तददिनांक  
 प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
 1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उच्च लखनऊ को इस आराय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।  
 2- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उच्च प्रो।  
 3- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।  
 प्रधानाचार्य  
 मेडिकल कालेज, कानपुर  
 प्रधानाचार्य  
 मेडिकल कालेज, कानपुर